

फारम-VII-क
कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 209 तिथि- 05.07.2016 के संदर्भ में

श्री गोरख नाथ सिंह, पिता-स्व0 लालजी सिंह, पता- B/5, बीबेकानन्द मार्ग, पाटलीपुत्रा, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 209... प्लॉट नं0- 541, खाता नं0- 180, तौजी नं0-5252, थाना नं0- 23, मौजा- सगुना, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-12-6/16-17 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 2327.08 वर्ग मीटर एवं G+3 की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 734.32 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.10 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात् यदि कोई दस्तावेज या तथ्य छुपाए जो या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निर्माण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शों में वर्णित सड़क चौड़ीकरण का भूपट्टी को छोड़कर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निर्माण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है।

(15) प्राधिकार के बाईलॉज के अन्तर्गत वर्णित ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स की रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना हैं जिसे तोड़कर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया है तो उसका समयावधि में अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

(18) बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामन फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेंगे।

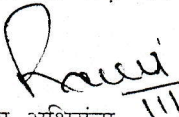
(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।

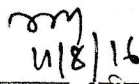
(23) पब्लिक बिल्डिंग में अंपंग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

(26) रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे एवं छोड़े गये भू-भाग को छोड़ कर चाहर दिवारी का निर्माण करेंगे।

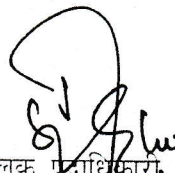

कनीय अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

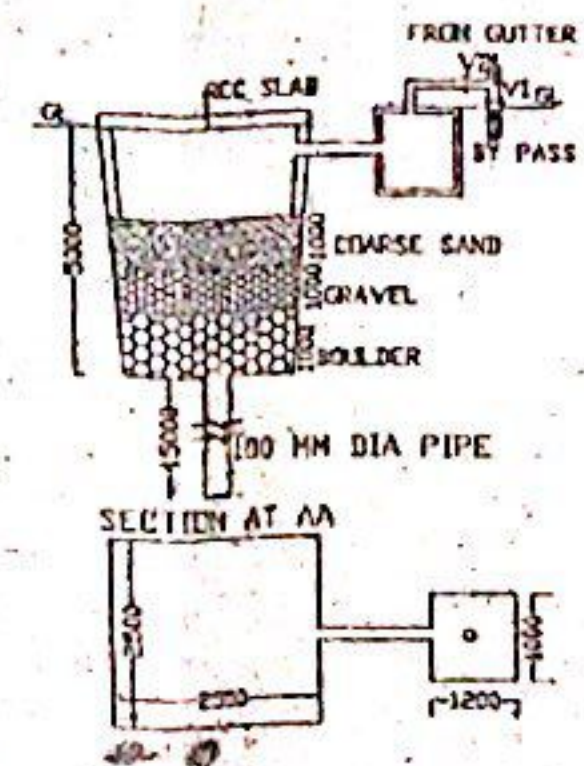

सहायक अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

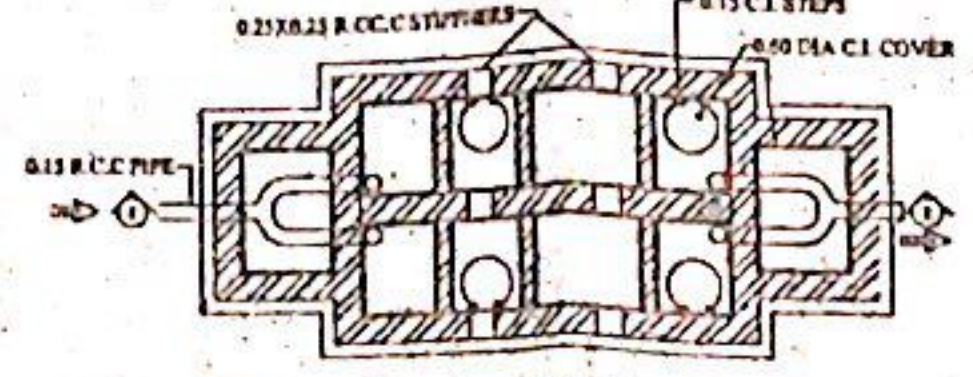
ज्ञापक:- 126...../दिनांक:- ...11/8/16.....

प्रतिलिपि:- श्री गोरख नाथ सिंह, पिता-स्व0 लालजी सिंह, पता- B/5, बीबेकानन्द मार्ग, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

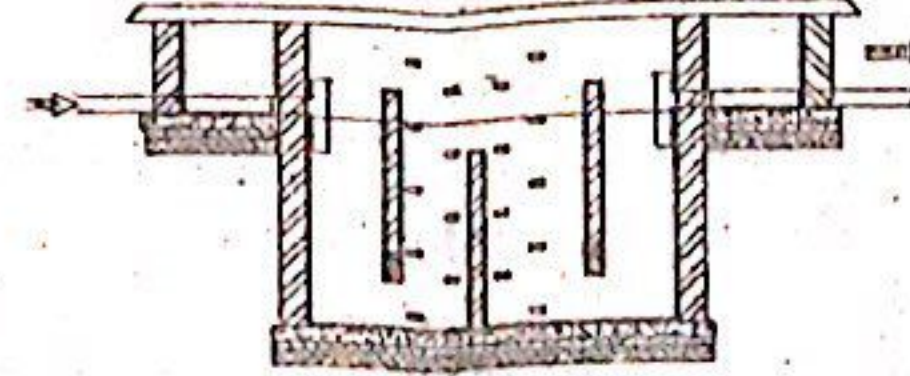

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत



DET. OF RECHARGEABLE BORE WELL



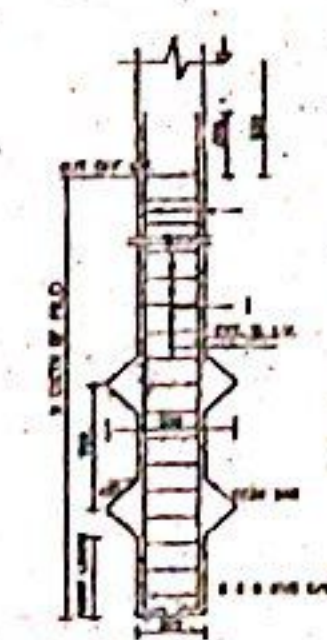
PLAN OF SEPTIC TANK.



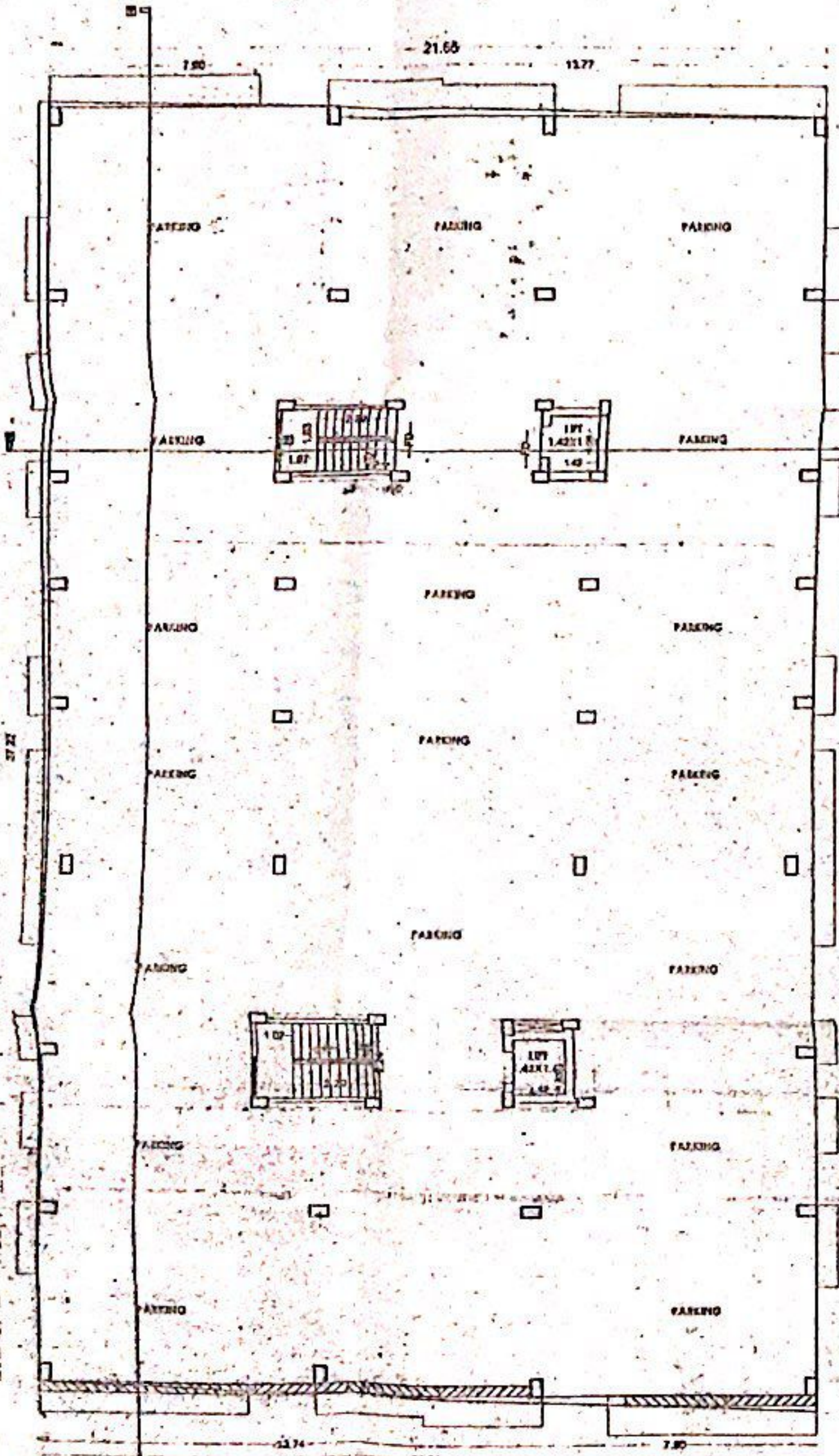
SECTION ON Z-Z



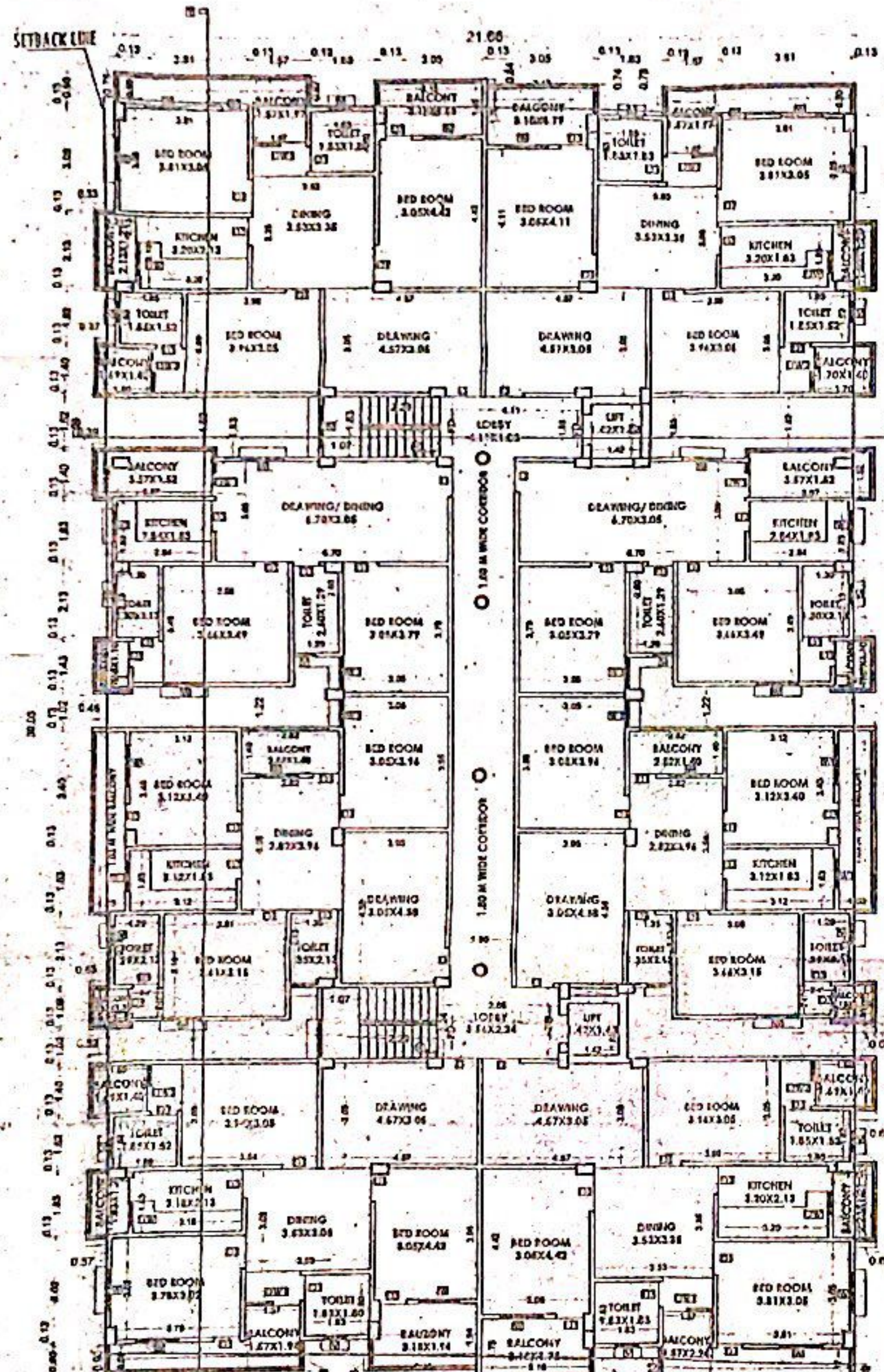
DETAILS OF FOUNDATION



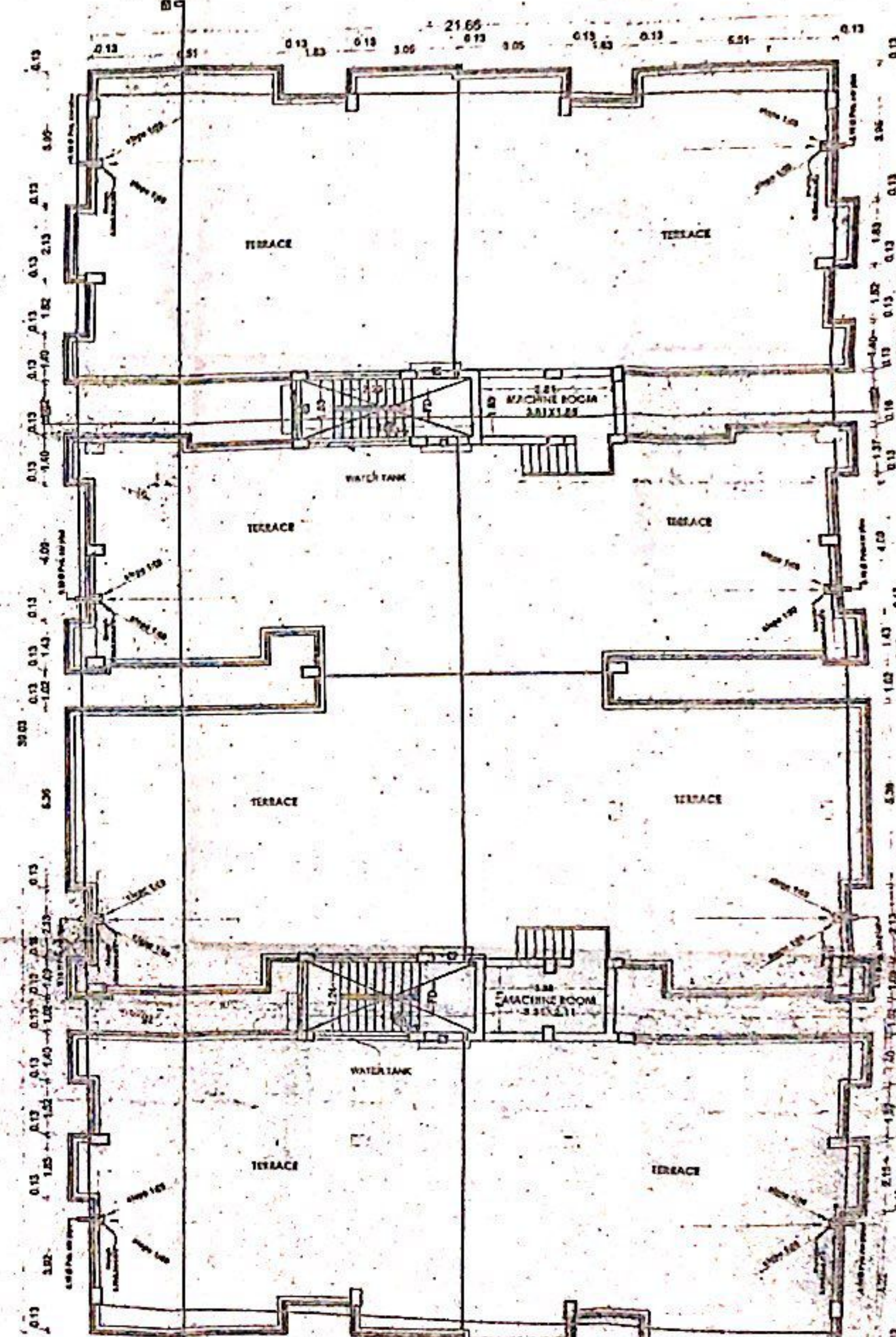
TYPICAL DETS OF UNDER-REAMED PILE



GROUND FLOOR PLAN



1ST, 2ND & 3RD FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

S.NO	TYPE	WIDTH	GILL	HEIGHT	DESCRIPTION
01	W	1.00	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
02	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
03	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
04	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
05	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
06	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
07	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
08	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
09	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM
10	W	0.80	0.5	2.10	DOOR TO LIVING ROOM

SPECIFICATION:-
 1. FOUNDATION - R.C.C. PILE FOUNDATION 45 CM DIA WITH R.C.C. ABUTMENT PILE CAP.
 2. SUPER STRUCTURE - 100% R.C.C. WORK WITH S.W. 10 MM.
 3. FLOORING - 100% R.C.C. FLOORING WITH S.W. 10 MM.
 4. ROOFING - 100% R.C.C. ROOFING WITH S.W. 10 MM.
 5. ROOF - 6 CM THICK R.C.C. ROOF WITH S.W. 10 MM.
 6. DOORS - 4 CM THICK R.C.C. DOORS WITH S.W. 10 MM.
 7. WINDOWS - 4 CM THICK R.C.C. WINDOWS WITH S.W. 10 MM.
 8. PLASTER - 6 CM THICK CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF R.C.C. WORK.
 9. COLOURING - COLOUR OF WHITE WASH AS SPECIFIED.

ESTIMATION:-
 TOTAL PLOT AREA - 1229.46 SQM
 GROUND FLOOR BU AREA - 11.01 sqm
 1ST FLOOR BU AREA - 765.35 sqm
 2ND FLOOR BU AREA - 765.35 sqm
 3RD FLOOR BU AREA - 765.35 sqm
 TOTAL BU AREA ALL FLOOR - 2327.06 sqm

WATER TANK CALCULATION:-
 TOTAL NO. OF FLAT - 10
 EACH FLAT HAVING 10 PERSONS
 TOTAL NO. OF PERSONS - 100 PERSONS
 PER PERSON REQUIREMENT - 100 LITERS
 TOTAL REQUIREMENT - 10000 LITERS
 REQUIRED AREA OF WATER TANK - 100 SQM
 PROVIDE AREA OF WATER TANK - 100 SQM
 TOTAL PROVIDE AREA OF WATER TANK - 100 SQM

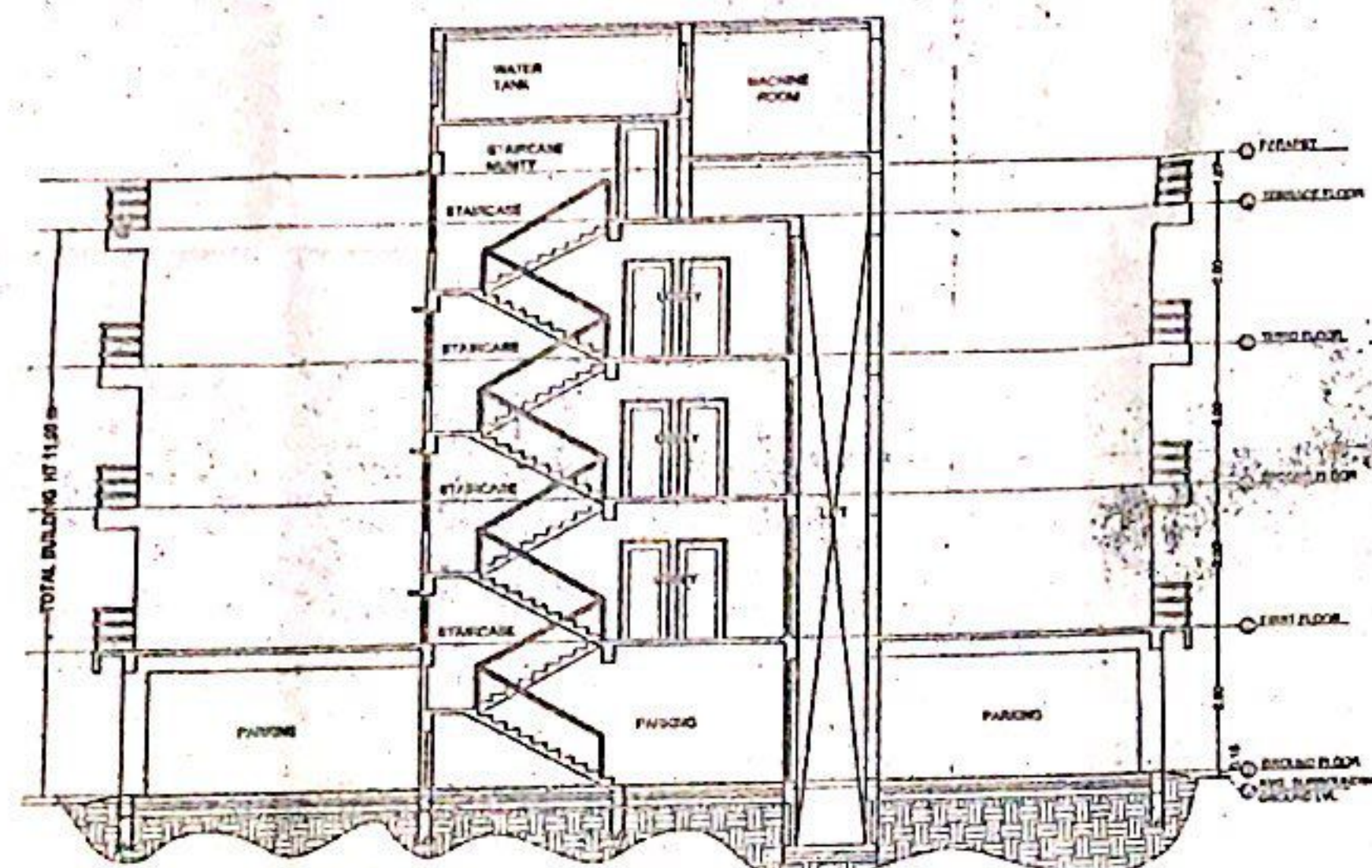
SEPTIC TANK CALCULATION:-
 TOTAL NO. OF FLAT - 10
 EACH FLAT HAVING 10 PERSONS
 TOTAL NO. OF PERSONS - 100 PERSONS
 PER PERSON REQUIREMENT - 100 LITERS
 TOTAL REQUIREMENT - 10000 LITERS
 REQUIRED AREA OF SEPTIC TANK - 100 SQM
 PROVIDE AREA OF SEPTIC TANK - 100 SQM
 TOTAL PROVIDE AREA OF SEPTIC TANK - 100 SQM

PLOT DETAILS:-
 PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR
 SHRI GORAN NATH SINGH & CO. LAL SINGH
 CHAVING SURVEY PLOT NO - 54
 THANA NO - 25
 TAUNTO - 3551
 KHATA NO - 150
 MAUZA - SAGNA
 DISTRICT - PATNA, BIHAR

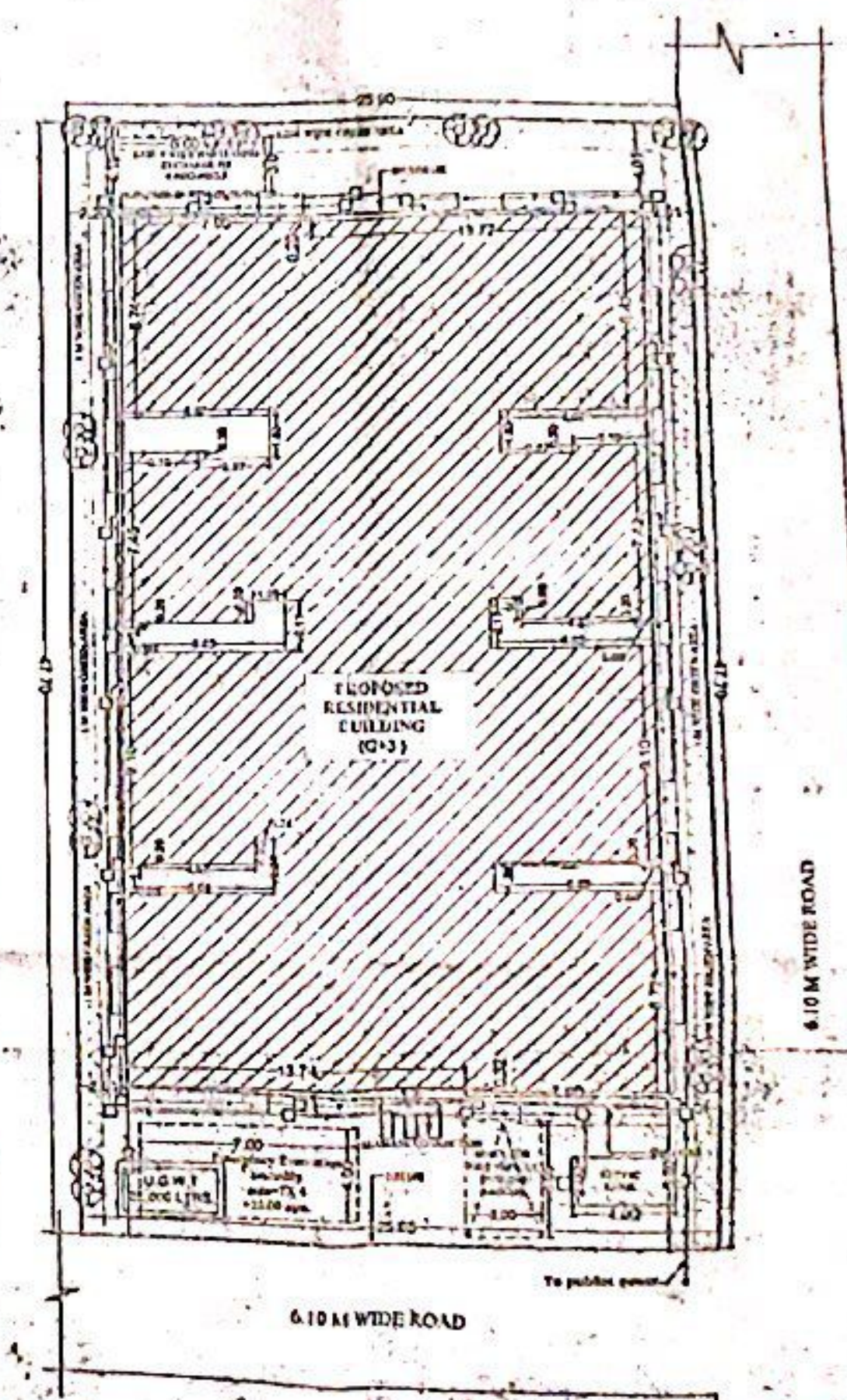
SHEET NO. SCALE NORTH
 PLOT-01 1:100
 Date: 01/01/2024
 Prepared by: [Signature]
 Checked by: [Signature]
 Approved by: [Signature]
 [Additional text and signatures]



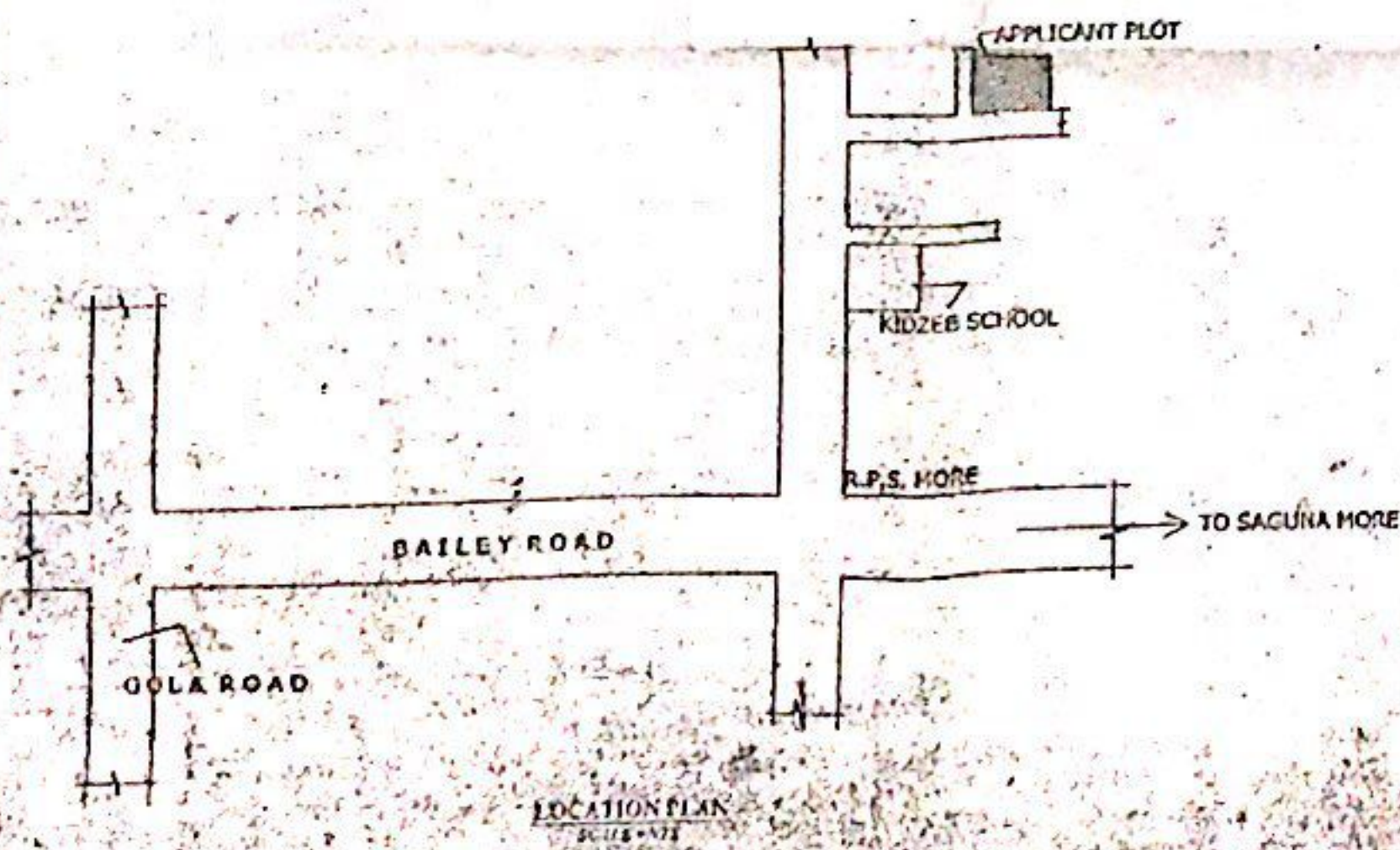
SECTION Y-Y
SCALE - 1/100



SECTION X-X SCALE=1:100



CITY PLAN
SCALE 1/2" = 1'



LOCATION PLAN

[illegible][illegible][illegible]